राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प. 6(5) राज-6/96 पार्ट/25 जयपुर, दिनांकः- 24.12.2001

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः-- निष्क्रान्त कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर रूपान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार की यह जानकारी में आया है कि कई स्थानों पर निष्क्रान्त कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है। इस प्रकार के मामलों में क्या कार्यवाही की जाय इस बारे में जिलों से स्पष्टीकरण चाहा गया है।

जो निष्क्रान्त कृषि भूमियाँ किसी को आवंटित है, उसका अकृषि उद्देश्य में उपयोग कर लिया गया है, उनके बारे में यदि आवंटी को उक्त निष्क्रान्त भूमि पर खातेदारी अधिकार मिल चुके है तो राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क लेकर रूपान्तरण किया जा सकता है।

जिन निष्क्रान्त भूमियों के लिए आवंटी ने राज्य सरकार की पूर्ण राशि जमा करा कर खातेदारी नहीं प्राप्त की है परन्तु भूमि का अकृषि में उपयोग कर लिया है तो पहले आवंटी नियमानुसार पूर्ण राशि राज्य सरकार में जमा करा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करें, फिर उस क्षेत्र के लिए लागू रूपान्तरण नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर रूपान्तरण करा सकता है।

जहाँ तक राजकीय निष्क्रान्त भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने का प्रश्न है, ऐसे प्रकरणों में अतिक्रमी यदि राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमानुसार पूर्ण राशि जमा करवाकर भूमि का आवंटन/नियमन करा लेवे व खातेदारी अधिकार प्राप्त कर उसे समर्पण कर उस क्षेत्र के लिए लागू रूपान्तरण नियमों के अनुसार रूपान्तरण की कार्यवाही करावें। जिन निष्क्रान्त भूमियों के मामलों में उपरोक्तानुसार नियमानुसार अकृषि में रूपान्तरण नहीं करवाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(बी.एल. मीणा)
उप शासन सचिव